आज दिनांक 01.12.2019 को बिहार एडमिनिशट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक पटना स्थित बासा भवन में अध्यक्ष श्री शशांक शेखर सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसकी कार्यवाही निम्न प्रकार है–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

सर्व प्रथम नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा कार्यकारिणी के अन्य सदस्यो का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव– 1–संघ के महासचिव श्री अनिल कुमार ने कार्यकारिणी के सभी पदधारकों को बताया कि आमसभा की अंतिम पंजी संख्या 5 दिनांक 24.11.2019 जिसमें वार्षिक आम सभा में निर्वाचन के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम का उल्लेख करते हुए नए अध्यक्ष/महासचिव को निर्वाचित घोषित किया है, उक्त पंजी संख्या– 5 को ही कार्यकारिणी की बैठक पंजी के रूप में प्रयोग की मान्यता दी जाए, जिसका अनुमोदन नई कार्यकारिणी के सभी सदस्यों द्वारा किया गया।

प्रस्ताव– 2–दिनांक 24.11.19 को आयोजित वार्षिक आम सभा चुनाव के बाद आमसभा द्वारा नए अध्यक्ष और महासचिव को नई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन हेतु प्राधिकृत किया गया था। इसके आलोक में संघ को सुचारू रूप से क्रियाशील करने हेतु नई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के पदधारकों का मनोनयन किया गया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव –3–बिहार एडमिनिशट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यकारिणी में कुछ नये सदस्यों को जोड़ने एवं संघ की गतिविधियों के सुचारू संपादन हेतु कुछ नई समितियों के गठन पर भी विचार किया गया, जैसे – सेवा संवर्ग नियमावली (Cadre Rule) प्रारूप समिति, मिडीया कोषांग, आई0 टी0 कोषांग, परामर्शदात्री मंडल, पत्रिका प्रकाशन समिति आदि। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसमें नये सदस्यों को जोड़ते हुए एवं विभिन्न समितियों का गठन करते हुए सभी को संसूचित किया जाए।

प्रस्ताव– 4–संघ भवन का उपयोग बासा से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकाधिक करने एवं इसे मात्र संघ के सदस्यों को ही विवाह या निजी कार्यक्रम हेतु आवंटित करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। विमर्श के क्रम में यह बात प्रकाश में आया कि संघ भवन का आवंटन बासा के पदाधिकारियों के साथ–साथ उनके सगे–संबंधियों एवं मित्रों को भी किया जाता है एवं कई पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित दर का भुगतान भी समय पर नही किया जाता है। बाजार से न्यूनतम दर (बाजार से एक चौथाई से भी कम दर) पर आवंटन होने के कारण इसके आवंटन पर काफी दबाव है। साथ ही भवन मरम्मति एवं इसके रख–रखाव में व्यय की प्रतिपूर्ति नही हो पाती है।

अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

(i) संघ भवन का आरक्षण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन एवं घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(ii) बासा के पदाधिकारियों के स्वयं के कार्यक्रम यथा माता–पिता, पत्नी एवं उनके बच्चों तथा सहोदर अविवाहित भाई–बहन के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिन सदस्यों द्वारा भवन निर्माण मद में 11000/– रू0 (ग्यारह हजार) सहयोग राशि दी गई है, उन्हें इसका आवंटन 11000/– रू0 (ग्यारह हजार) प्रति दिन की दर से दी जायेगी।

(iii) जिन सदस्यों द्वारा भवन मद में 11,000/– रू0 (ग्यारह हजार) की सहायोग राशि अब तक नही दी गई है, उन्हें 31 मार्च, 2020 तक उक्त राशि जमा करने का अंतिम मौका देने का निर्णय लिया गया। अगर 31 मार्च, 2020 तक जो भी संघ के सदस्य भवन मद में 11000/– रू0 (ग्यारह हजार) सहयोग राशि नहीं जमा करते हैं उनके लिए दिनांक–01.04.2020 से भवन मद में एकमुस्त सहयोग राशि 11000/–रू0 (ग्यारह हजार) तथा 14,000/– रू0 (चौदह हजार) प्रतिदिन यानी कुल 25,000/– रू0 (पचीस हजार) में भवन आवंटित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। जिन सदस्यों ने भवन मद में 11000/–रू0 (ग्यारह हजार) की सहयोग राशि नहीं दी है, उन्हें पूर्ववत् 31 मार्च, 2020 तक पुराने 22,000/–रू0 (बाईस हजार) की दर से आवंटन किया जायेगा।

(iv) उपर वर्णित कंडिका–(ii) के अतिरिक्त संघ के सदस्यों के सगे–संबंधियों के लिए संघ भवन के 01 हॉल भूतल तथा 5 कमरा के लिए आवंटन दर 51000/– (एकावन हजार) रूपये (जो बाजार दर का आधा है) निर्धारित किया गया। जिससे अन्य लोगों द्वारा बासा भवन के उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके।

(v) संघ के सदस्यों के सगे–संबंधियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए भूतल अवस्थित एक हॉल एवं पाँच कमरों का आवंटन बाजार दर के 75 प्रतिशत राशि यानि 75,000/–(पचहत्तर हजार रूपये) प्रतिदिन की दर से सहयोग राशि लिया जायेगा। किसी भी इस तरह के प्रयोजन हेतु संघ के सदस्य की व्यक्तिगत अनुशंसा अनिवार्य होगी। संघ के किसी सदस्यों को अगर व्यक्तिगत रूप से भवन की आवश्यकता होगी तो उन्हें ऐसे मामलों में प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) भवन के आरक्षण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण सहयोग राशि का भुगतान होने पर ही भवन किसी कार्यक्रम या प्रयोजन के लिए आवंटन की सम्पुष्टि की जायेगी तथा इसके पश्चात् ही भवन भौतिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि जिनका पूर्व में भवन/कमरा मद में कोई भी बकाया है, उन्हें हॉल/कमरा का आरक्षण नहीं किया जायेगा।

(vii) कार्यक्रम एवं समारोह में यदि किसी प्रकार का फेर–बदल या रद्द होता है तो सहयोग राशि अध्यक्ष एवं महासचिव के परामर्श के बाद वापस किया जायेगा। भवन आरक्षण के संबंध में महासचिव का निर्णय अंतिम होगा।

(viii) कार्यक्रम एवं समारोह के लिए संघ भवन आरक्षण कराने वाले को विद्युत प्रभार स्वयं वहन करना होगा।

(ix) प्रायः देखा जा रहा है कि संघ भवन के कार्यक्रम/समारोह में उपयोग के पश्चात् आवंटियों द्वारा गंदगी फैलाकर छोड़ दिया जाता है तथा सामग्रियों को अस्थायी नुकसान भी किया जाता है।

अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि साफ–सफाई/नुकसान मद में प्रति आवंटन 5,000/–(पाँच हजार रूपये) सुरक्षित राशि अलग से जमा करायी जाय जो कार्यक्रम के बाद साफ–सफाई एवं भवन के स्थिति के आकलन के बाद वापस की जायेगी।

(x) संघ के जिन सदस्यों द्वारा भवन निर्माण मद में 1,00,000/–(एक लाख रूपये) या इससे अधिक राशि सहयोग के रूप में दी गई है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट पूर्ववत् अनुमान्य होगी।

(xi) संघ के सदस्यों के स्वतंत्र रूप से स्वयं के आवासन पर वातानुकूल कमरे की दर पूर्व की भांति 500/–रू0 (पाँच सौ रूपये) प्रतिदिन की दर से रहेगी। परन्तु किसी भी सदस्य द्वारा स्वयं के आवासन से इतर यदि कमरे का आरक्षण अन्य प्रयोजन के लिए कराया जाता है तो उसकी दर 1100/–रू0 (ग्यारह सौ रूपये) जो बाजार दर का 50 प्रतिशत है, होगी।

(xii) संघ भवन मद में प्राप्त राशि का खर्च इसके मरम्मति, रख–रखाव एवं अनुरक्षण के लिए किया जायेगा। यदि इस मद में राशि अवशेष बचती है तो उसे संघ के सदस्यों के मृत्यु अनुदान के लिए कल्याण मद में उपयोग किया जायेगा।

उक्त सभी प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के द्वारा ध्वनि मत से अनुमोदन किया गया।

<u>प्रस्ताव– 5</u>–बिहार प्रशासनिक सेवा के कई पदाधिकारियों को सरकार द्वारा प्रोन्नति दी गई है परन्तु उन्हें प्रोन्नत श्रेणी के लिए चिन्हित पद/स्थान पर पदस्थापित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुशः उदाहरण हैं जहाँ निम्न वेतनमान (पदक्रम) के पदाधिकारियों को उच्च वेतनमान (पदक्रम) हेतु चिन्हित पदों पर अपने ही वेतनमान में पदस्थापित कर दिया गया है। जो खेदजनक हैं। इससे उनके मनोबल पर कुप्रभाव पड़ रहा है तथा उनकी कार्यक्षमता भी प्रभावित हो रही है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन में इस विपर्यय एवं व्यतिक्रम को दूर करने के लिए जिलावार सूची तैयार कर सरकार को ज्ञापन समिति के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।

<u>प्रस्ताव– 6</u>–कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से भा0 प्र0 से0 के सेलेक्ट लिस्ट को निर्धारित दिसंबर माह के पूर्व भेजने का प्रस्ताव लिया। एतदर्थ ज्ञापन समिति शीघ्र ज्ञापन तैयार करेंगे।

<u>प्रस्ताव– 7</u>–सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपसचिव से लेकर विशेष सचिव तक सभी लंबित प्रोन्नति की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु संघ की ओर से सरकार को ज्ञापन समिति के माध्यम से ज्ञापन तैयार कर समर्पित किया जाए।

<u>प्रस्ताव–8 –</u> वर्तमान में वार्षिक सहयोग राशि, भवन निर्माण, विधि मद एवं कल्याण कोष में अलग–अलग सहयोग राशि वसूली जाती है। साथ ही सहयोग राशि वसूली की प्रक्रिया हाथों–हाथ एवं बैंक में सदस्यों को जमा करनी पड़ती है, जिसके कारण सभी के द्वारा अपना सहयोग राशि ससमय जमा नही किया जाता है। इसके कारण संघ को राशि के अभाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। बासा कोषाध्यक्ष द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि संघ के सदस्यों से Electronic

Clearing Service के माध्यम से सहयोग राशि की वसूली की जाय। उनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि भारतीय स्टेट बैंक नियोजन शाखा, पटना जो संघ भवन के बगल में है उसमें दो बचत खाता एक सामान्य कोष एवं दूसरा कल्याण कोष हेतु खोला जाय तथा सभी सदस्यों से 100–100/– रू0 (एक–एक सौ) रूपये मासिक सहयोग लिया जाय, ताकि संघ की गतिविधियों का संचालन सूचारू रूप से हो सके तथा बासा के सदस्य जिनकी आकस्मिक मृत्यु होती है उन्हें कल्याण कोष से राशि का भुगतान तुरंत किया जा सके। यदि कोष में सभी सदस्यों से सहयोग राशि नियमित प्राप्त होता है तो मृत्यु सहायता की राशि 100000/– (एक लाख) रूपये से बढ़ाकर 200000/– रू0 (दो लाख रूपये) की जा सकती है। प्रस्ताव का स्वागत करते हुए सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया एवं इस पर अविलंब कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

<u>प्रस्ताव–9</u>–यह विदित है कि बिहार प्रशासनिक सेवा प्रशासन का मेरूदंड है। राज्य सरकार की नीतियों को मूर्त रूप प्रदान करने, विधि–व्यवस्था, निर्वाचन, लोक शिकायतों का निवारण एवं विकासपरक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की महती भूमिका रही है। बिहार की प्रीमियर सेवा के रूप में प्रतिष्ठापित बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों, विशेषकर जिले में वर्तमान में पदस्थापित 56–59 वीं एवं 60–62वीं बैंच के परीक्ष्यमान वरीय उपसमाहर्त्ताओं जिनकी संख्या लगभग 323 है, के पास उपसमाहर्त्ता की गरिमा के अनुकूल आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि किसी भी पद पर पदस्थापना होने के साथ ही सभी पदाधिकारियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जाए। एतदर्थ ज्ञापन समिति के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।

<u>(a) वाहन–</u> जिला में पदस्थापित बि0प्र0से0 के सभी पदाधिकारियों निर्वाचन, विधि–व्यवस्था, आपदा, अतिक्रमण, योजनाओं की जाँच एवं जनकल्याण संबंधी कार्यो को संचालित करने तथा उनके निरीक्षण एंव अनुश्रवण के दायित्व का निर्वहन के लिए हमेशा कर्तव्यारूढ़ रहते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने वाले एवं उन्हें संरक्षण देने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से रूबरू होना पड़ता है। इसलिए पदाधिकारियों की गरिमा के संरक्षण हेतु सभी को स्वतंत्र रूप से वाहन आवंटित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ताओं में महिला पदाधिकारियों की संख्या लगभग आधी है। अतः इसके दृष्टिगत भी सभी पदाधिकारियों को वाहन आवंटित करना नितांत आवश्यक है।

<u>(b)आवास</u>–सभी बि0प्र0 से0 के पदाधिकारियों को पदस्थापन के साथ ही कर्णांकित सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाए ताकि योगदान के प्रथम दिवस से ही सरकारी आवास में रहते हुए बिना समय नष्ट किए अपना कर्तव्य निर्वहण किया जा सके। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान कई सरकार विरोधी विपरीत विचारधारा के व्यक्तियों के विरूद्ध कार्य करते हुए अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सम्मान पूर्वक निवास कर सकें इसके लिए सरकारी आवास आवश्यक है।

(c)कार्यालय प्रकोष्ठ– बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए स्वतंत्र एवं सभी सुविधाओं से सुसज्जित कार्यालय प्रकोष्ठ अत्यंत आवश्यक है।

(d)सुरक्षा व्यवस्था–यह विदित है कि हमारे पदाधिकारियों को अपने दायित्व के निर्वहण हेतु किसी भी समय एवं किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। निर्वाचन, आपदा, विधि–व्यवस्था, पर्व –त्योहार के अवसर पर अहर्निशकार्य करना पड़ता है। यह ध्यातव्य है कि समाज में विभिन्न प्रकृति एवं सोच वाले लोग रहते हैं। जन आक्रोश के कारण कभी–कभी विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण पदाधिकारी सहित सामान्य जन भी प्रभावित हो जाते हैं। प्रशासनिक कार्यों के सुचारू निर्वहन हेतु सभी पदाधिकारियों, जिसमें महिला परीक्ष्यमान पदाधिकारियों की भी बड़ी संख्या है,के लिए सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

प्रस्ताव– 10–सहरसा में पदस्थापित परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ता श्री प्रकाश कुमार रजक के साथ मोबाईल छिनतई एवं अपराधियों द्वारा मारपीट की घटना घटित हुई है, जिसकी संघ द्वारा भर्त्सना की गई। उक्त घटना श्री रजक के साथ गोपनीय शाखा में जिला पदाधिकारी द्वारा विद्यालय जाँच की समीक्षा के उपरांत वाहन नहीं रहने के कारण पैदल लौटते समय घटित हुई। यह घटना मीडिया में भी प्रचारित हुआ है। जिला ईकाई, सहरसा से अनुरोध है कि परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ता श्री रजक के साथ घटी घटना जो स्थानीय प्रशासन के पूर्ण संज्ञान में है, अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी करवायी जाए एवं तत्संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यकारिणी को भेजी जाए। पदाधिकारियों की सुरक्षा एवं वाहन की आवश्यकता इस घटना के बाद और भी दृढ़तर हो जाती है।

प्रस्ताव– 11–(i) परीक्ष्यमान वरीय उपसमाहर्त्ताओं को प्रखंडस्तरीय प्रशिक्षण के दौरान अपर प्रखंड विकास पदाधिकारी/अपर अचंलाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अचंलाधिकारी के अधीनस्थ के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था से पदाधिकारियों में विक्षोभ है। ध्यातव्य है कि उक्त दोनो पद हमारा संवर्गीय पद नहीं है, एवं सरकार से प्रखण्ड स्तर पर अपर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अपर अंचल अधिकारी का कोई पद सृजित नही है। अतः प्रशिक्षु वरीय उपसमाहर्त्ताओं को प्रखंड एवं अंचल का स्वतंत्र प्रभार देते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने की पूर्व व्यवस्था को कायम रखने पर सहमति व्यक्त की गई। परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ताओं की परीक्ष्यमान अवधि की समाप्ति पर स्वतंत्र प्रभार देने हेतु सरकार की ओर से तुरंत सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र दिये जाने की नितांत आवश्यकता है।

(ii) महिला परीक्ष्यमान उप–समाहर्त्ता की संख्या को देखते हुए जिला में उनके लिए स्वतंत्र शौचालय की व्यवस्था आवश्यक है।

(iii) वर्तमान में परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ताओं की परीक्ष्यमान अवधि अभी मात्र 40 सप्ताह का कर दिया गया है। परीक्ष्यमान अवधि पूर्व की भाँति किये जाने पर सरकार को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।

(iv) "भारत दर्शन" जो परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण अंश होता था, उसे हटा दिया जाना खेदजनक हैं।यह बिडंबना है कि अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों के लिए

सरकार ने भारत दर्शन की व्यवस्था बनाये रखी है जबकि परीक्ष्यमान उपसमहर्त्ताओं को इससे वंचित रखा गया है। यह नैराश्य एवं विक्षोभ का सृजन करता है।

उपरोक्त सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय केन्द्रीय समिति द्वारा लिया गया। इस संबंध में सरकार एवं उनके संबंधित विभाग के आला अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की माँग की जाती है। एतदर्थ ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही महासचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

ह0/–
(अनिल कुमार)
महासचिव
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, पटना

ह0/–
(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष,
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, पटना

ज्ञापांक–65 पटना/ दिनांक–06.12.2019

प्रतिलिपि–केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार)
महासचिव
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, पटना

ज्ञापांक–65 पटना/ दिनांक–06.12.2019

प्रतिलिपि–अध्यक्ष जिला इकाई बासा सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार)
महासचिव
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, पटना